

सत्याग्रह

डॉ. प्रभाकर

अतिथि प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग
बी.एन.एम.भी. कॉलेज, बी.एन.मंडल, विष्वविद्यालय, मधेपुरा

भूमिका

गाँधीजी की सत्य और अहिंसा, साधन और साध्य की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में असीम आस्था थी। इसके आधार पर अन्याय और बुराई के प्रतिरोध के लिये उन्होंने नये और प्रभावशाली मार्ग की खोज की, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। गाँधीजी ने राजनीति को व्यवहारिक रूप देने के लिये सत्याग्रह को एक प्रभावकारी अस्त्र माना है।

सत्याग्रह दो शब्दों के मिलन से बना है सत्य+अनुग्रह। सत्याग्रह की व्याख्या अनेक अर्थों में की गई है जैसे— सत्य के लिये आग्रह, सत्य पर डटे रहना और सत्य की रक्षा के लिये अहिंसात्मक संघर्ष करना। सत्याग्रह की व्याख्या करते गाँधीजी ने कहा—“सत्याग्रह का मूल अर्थ है— “सत्य—बल का अबलम्बन।” उन्होंने आगे कहा कि “सत्य का अनुसरण इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि कोई व्यक्ति अपने विरोधी पर बल प्रयोग करे। कारण यह है कि जो बात एक व्यक्ति को सत्य मालूम होती है, वही दूसरे को असत्य मालूम हो सकती है। इस प्रकार इस सिद्धांत का अर्थ है— विरोधी को कष्ट न देकर बल्कि स्वयं कष्ट सहकर सत्य का समर्थन करना। अतः अपने विरोधियों को दुःखी बनाने के बदले स्वयं कष्ट सहकर “सत्य की विजय प्राप्त करना” ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीरों का अस्त्र है। सत्याग्रही अपने विरोधियों को बिना हानि पहुँचाये स्वयं कष्ट उठाकर हृदय परिवर्तन के द्वारा न्याय मार्ग पर लाने के लिये सत्य का समर्थन करता है। “सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किये जाने वाला नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष है।”

सत्याग्रह के उद्देश्य को स्पष्ट करते गाँधी जी ने सत्याग्रह को आत्मबल भी कहा है। सत्याग्रह एक प्रकार का धर्म है जिसके उद्देश्य बहुमुखी है। ये उद्देश्य हैं— विरोधियों को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुँचाये वगैर तथा विना किसी वैर—भाव के उन्हें उनकी त्रुटियों, अन्याय, अत्याचार वगैरह दुर्गुणों का ज्ञान कराना। उसके भावनाओं और विचारों में परिवर्तन लाकर हृदय परिवर्तन करवाना और सन्मार्ग पर लाना।

सत्याग्रही के गुण की व्याख्या करते गाँधीजी ने कहा कि सत्याग्रही को आत्म—बल से पूर्ण होना चाहिये तभी वह बड़ी से बड़ी और ताकत से ताकतवर शक्तियों से लोहा ले सकता है। गाँधीजी ने 1908 में लिखे अपने ग्रन्थ “हिन्द स्वराज्य” में सत्याग्रही के 5 गुण बताये हैं— 1. ब्रह्मचर्य 2. निर्भयता 3. निर्धनता 4. सत्यनिष्ठा और 5. अहिंसा

ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए गाँधीजी ने कहा सत्याग्रही को विषय-वासना से मुक्त होना चाहिये क्योंकि विषय-वासना में लिप्त व्यक्ति सच्चा सत्याग्रही नहीं हो पायेगा। निर्भयता के बारे में कहा कि निर्भयता संबंधि गुण के अभाव में सत्याग्रही कभी ठोस कदम नहीं उठा पायेगा। निर्धनता की व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्ति को धन का लोभी नहीं होना चाहिये। धन का लोभ सत्याग्रह की कठिन साधना के मार्ग में बड़ी बाधा है। सत्यनिष्ठा का अर्थ ईमानदारी से है। छल, प्रपंच, कपट, धोखा वगैरह संबंधि आचरण से परहेज होना चाहिये। सत्य के प्रति हर वक्त निष्ठावान रहें। अहिंसा की व्याख्या करते गाँधीजी ने कहा कि अहिंसा सत्याग्रह का मूल आधार है। सत्याग्रही का अडिग विष्वास अहिंसा में होना अनिवार्य है। मन वचन और कर्म से ही नहीं बल्कि आचरण से भी अहिंसा में विष्वास करना चाहिये। मतलब यह है कि विरोधियों के विरुद्ध मन में बुरा विचार न हो, कड़वी या कटु वचन न बोली जाय तथा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे विरोधियों को शारीरिक मानसिक कष्ट हो। इस प्रकार सत्याग्रही को क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से और बुराई को भलाई के द्वारा विजय प्राप्त करना चाहिये।

सत्याग्रह की कला की व्याख्या करते गाँधीजी ने कहा जिस प्रकार सैनिक युद्धकला में निपुण होता है उसी प्रकार सत्याग्रही को सत्याग्रह की कला में सिद्धहस्त होना चाहिये। सिद्धहस्त व्यक्ति ही सत्याग्रह अस्त्र का प्रयोग विवेकपूर्ण और प्रभावीकारी ढंग से करके अपना लक्ष्य प्राप्त करा सकता है। सामूहिक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति को एक कर्मठ जननेता और सत्याग्रह की कला में निष्चित रूप से कुशल होना चाहिये। सत्याग्रह के कार्यक्रम को चरणवद्ध और क्रमवद्ध रूप से चलाना चाहिये।

सत्याग्रह को नेतृत्व करनेवाले व्यक्ति को सर्वप्रथम अन्याय के खिलाफ अधिकारियों को निवेदन के साथ समझाना-बुझाना चाहिये। जब यह शांतिपूर्ण उपाय निष्फल हो जाय तब सामूहिक सत्याग्रह आरंभ करना चाहिये। सत्याग्रह से पूर्व जनमत को पक्ष में लाकर मांगे तय करके अधिकारियों से मानने का आग्रह करना चाहिये। सत्याग्रह आन्दोलन तबतक जारी रखा जाना चाहिये, जबतक तमाम माँग मान न ली जाय। सत्याग्रह का संबंध माँग तक ही सीमित रहे, व्यापक रूप धारण न करने दिया जाय। व्यापक रूप धारण करने से समाज में अशांति, हिंसा, अव्यवस्था तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाने का भय होगा। सत्याग्रह का रूप दुराग्रह धारण कर लेगा। सत्याग्रह का स्वरूप पूर्णतः अहिंसात्मक रखा जाना चाहिये। सत्याग्रह के क्रम में अगर सत्याग्रही को प्रशासन द्वारा कोई दण्ड दिया जाय तो उस दण्ड को सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। इस कार्य के द्वारा सत्याग्रही आत्म बलि और दृढ़ संकल्प होने का प्रमाण देता है और अंततः इस नैतिक शक्ति के आगे विपक्षी व्यक्ति या अधिकारी को न्यायपूर्ण माँग के आगे झुक जाना पड़ता है। गाँधी जी ने अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज्य में लिखा है— “सत्याग्रह में स्वयं की बलि देनी होती है। पर बलि से आत्म-बलि अधिक उँची चीज है।”

नियम:- सत्याग्रही के लिये नियम की चर्चा करते गाँधीजी ने सुझाव दिया है कि—

- I. सत्याग्रही अपने विरोधियों के प्रति क्रोध प्रकट नहीं करेगा।
- II. विरोधियों या शासकों के क्रोध का सहन करेगा।
- III. विरोधियों के खिलाफ शक्ति प्रयोग नहीं करेगा।
- IV. विरोधियों का अपमान नहीं करेगा।
- V. आदेश—दंड के समक्ष नहीं झुकेगा।
- VI. विरोधी के प्रति बदले की भावना नहीं रखेगा।
- VII. गिरफ्तारी के आदेश के स्वीकार करेगा।
- VIII. यदि सत्याग्रही किसी के सम्पत्ति का संरक्षक है तो जान की बाजी लगाकर भी उस सम्पत्ति को जब्त नहीं करने देगा।
- IX. यदि कोई सत्याग्रही किसी अधिकारी का अपमान करना चाहे तो अपने पर खतरा उठाकर उस अधिकारी की रक्षा करेगा।

सत्याग्रह के स्वरूप (Form of Satyagrah):-

गाँधीजी ने राजनीतिक आन्दोलन के दौरान सत्याग्रह के अनेक रूपों का प्रयोग किया था जो निम्नांकित है—

1. निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance)– निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का एक रूप है। लेकिन सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अन्तर है।

- निष्क्रिय प्रतिरोध को निर्बलों का अस्त्र माना गया है जो हिंसा से पूर्णतः मुक्त नहीं है। इसमें विरोधियों के खिलाफ बल प्रयोग की छूट रहती है लेकिन व्यक्ति के निर्बल होने के कारण वह बल प्रयोग नहीं कर पाता है। लेकिन सत्याग्रह में अहिंसा का पालन आदेश के रूप में माना जाता है। इसमें अहिंसा शक्तिशाली और वीरों का अस्त्र माना जाता है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध का क्षेत्र सीमित और सत्याग्रह का क्षेत्र काफी व्यापक होता है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध शारीरिक शक्ति पर आधारित होता है लेकिन सत्याग्रह आत्म-शक्ति पर आधारित है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध में विरोधी के प्रति धृणा, द्वेष, अविश्वास की भावना पायी जाती है जबकि सत्याग्रह इन तुच्छ भावनाओं से परे है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध में उद्देश्य प्राप्ति हेतु हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है, सत्याग्रह में किसी भी हालात में अहिंसा को छोड़ा नहीं जा सकता है।

- निष्क्रिय प्रतिरोध में विरोधी को परेषान करने की छूट है जबकि सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहकर विरोधियों का हृदय परिवर्तन चाहता है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध में नैतिकता और आत्म शुद्धि का अभाव है जबकि सत्याग्रही का प्रथम शर्त नैतिकता और आत्म शुद्धि है।
- निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति का अभाव है जबकि सत्याग्रह में रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

इस प्रकार निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का अस्त्र है और सत्याग्रह सबल और वीरों का अस्त्र है।

2. हड़ताल(Strike)– सत्याग्रह का दूसरा रूप हड़ताल है। हड़ताल का अर्थ है किसी कष्ट, अन्याय, शोषण आदि के विरुद्ध असंतोष व्यक्त करने हेतु काम पर न जाना। इस अस्त्र का प्रयोग श्रमिक अपने मालिक के विरुद्ध करता है। हड़ताल का उद्देश्य कर्मचारियों–श्रमिकों द्वारा अपने शोषण और अन्याय के विरुद्ध जनता और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर समस्या का समाधान करवाना है। हड़ताल के संबंध में गाँधीजी का विचार समाजवादियों और साम्यवादियों के वर्ग–संघर्ष से भिन्न आत्म शुद्धि के लिये किया जानेवाला एक ऐच्छिक प्रयत्न है जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करके विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना है। पश्चिमी देशों में श्रमिकों की हालत में सुधार के लिये हड़ताल को एक प्रभावकारी अस्त्र माना जाता था और लक्ष्य प्राप्ति के लिये हिंसात्मक कार्य को भी उचित माना जाता था।

लेकिन गाँधीजी की विचारधारा पाष्चात्य श्रमसंघों के हिंसात्मक कार्यवाही से भिन्न अहिंसक और शांतिपूर्ण हड़ताल से था जिसमें बल प्रयोग के लिये कोई जगह नहीं था। उनका मानना था कि हड़ताल हमेशा उचित और न्यायपूर्ण मांग के लिये की जानी चाहिये। गाँधीजी के शब्दों में–“न्याय प्राप्ति के लिये हड़ताल करना श्रमिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर जैसे ही पूँजीपति पंच निर्णय के सिद्धांत स्वीकार कर ले तब हड़ताल को एक अपराध माना जाना चाहिये।”

3. बहिष्कार (Boycott):– सत्याग्रह का एक रूप बहिष्कार भी है। बहिष्कार का अर्थ है त्यागना और निष्कासित करना। बहिष्कार के तीन प्रकार हैं:– सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक बहिष्कार का मतलब है– व्यक्ति द्वारा सामाजिक दृष्टि से अनुचित कार्य करने पर समाज द्वारा व्यक्ति से संबंध विच्छेद। अर्थात् व्यक्ति को तमाम सामाजिक रिश्तों– संबंधों के अलग कर देना। भारत में सामाजिक बहिष्कार की प्रथा अत्यंत प्राचीन और प्रभावकारी रहा है।

गाँधीजी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये आर्थिक राजनीतिक–बहिष्कार का अहिंसात्मक प्रयोग किया था। आर्थिक बहिष्कार के अन्तर्गत गाँधीजी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तु के प्रयोग पर बल दिया। राजनीतिक बहिष्कार के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि लौटाना, पदों का त्याग करना, ब्रिटिश संस्थाओं से संबंध विच्छेद, वकील द्वारा न्यायालय का बहिष्कार,

स्वनिर्मित नमक का प्रयोग, शराब की दूकान पर धरना वगैरह कार्यक्रम शामिल किया गया था । बहिष्कार का स्वरूप पूर्णतः अहिंसात्मक रहा ।

4. धरना (Picketing)— धरना भी सत्याग्रह का एक प्रभावकारी अस्त्र है। धरना का अर्थ है जबतक विरोधी की न्यायोचित बात मान न ले तबतक विरोधी के मकान, दूकान, कारखाने और कार्यालय के द्वार पर आसन लगाकर बैठे रहना। गाँधीजी ने धरना का प्रयोग शराब-बंदी, अफीम-बन्दी, विदेशी वस्तुओं की दुकान का बहिष्कार के रूप में किया था। धरना का उद्देश्य अहिंसक और प्रतीक के रूप में किया जाता है जिससे आमलोग, सरकार और विरोधी धरना देने वालों की भावना को समझ सकें। धरनार्थी द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट देना नहीं बल्कि स्वयं कष्ट सह लेना भी है।

5. हिजरत (Hijrat)— हिजरत भी सत्याग्रह का एक रूप है। हिजरत का अर्थ है— स्थायी निवास स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाकर बसना। अन्याय और शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करने का यह अति प्राचीन तरीका है। रोम में कुलीन वर्ग के अत्याचार से पीड़ित निर्धन वर्ग के लोगों ने रोम का त्याग कर दिया था और मुहम्मद साहब को भी कट्टर धर्माबलम्बियों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर मदीना आ जाना पड़ा था। इस प्रकार हिजरत का अर्थ है— “दुर्जनम देषे त्यागयेत” अर्थात् दुर्जन शासक के देश को त्याग देना चाहिये।

गाँधीजी ने भी 1930 में बरदोली-बोरसद के किसानों पर करबन्दी आन्दोलन के समय सरकार द्वारा भीषण अत्याचार किये जाने पर स्थायी निवास छोड़ बड़ौदा जाने की राय दी थी।

6. उपवास (Fasting)— सत्याग्रह का सबसे प्रभावशाली रूप उपवास या अनशन है। गाँधीजी ने उपवास का प्रयोग प्रथमतः अपनी आत्मशुद्धि और गलतियों के सुधार के लिये किया था। बाद उन्होंने उपवास का प्रयोग ब्रिटिश सरकार के अन्याय के विरुद्ध किया था। उपवास को रामबाण की संज्ञा दी। गाँधीजी का मानना था कि मनुष्य की आत्मशक्ति में वृद्धि गलतियों के प्राप्यचित और अत्याचारी के हृदय परिवर्तन के लिये उपवास एक अचूक और प्रभावकारी औषधि है। गाँधीजी ने लिखा है—“सच्चा उपवास शरीर, मन और आत्मा को मुक्त करता है।” उनका मत था कि उपवास वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें श्रेष्ठ नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल के अलावे आत्म संयम, धैर्य, अहिंसा में आस्था और ईश्वर में विश्वास है। उन्होंने उपवास के सीमित प्रयोग का सुझाव दिया। उपवास का उद्देश्य विरोधी पर किसी प्रकार का दबाव डालना नहीं बल्कि उनका हृदय परिवर्तन के द्वारा उनमें सदभावना, सद्विचार और नैतिक आचार जगाकर न्यायोचित मार्ग पर लाना है। गाँधीजी ने 1922 ई0 में चौरी-चौरी घटना के बाद 1924 में हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिये, 1933 में अस्पृश्यता-सम्प्रदायिकता संबंधि ब्रिटिश सरकार के निर्णय के विरुद्ध तथा समय-समय पर अनेक प्रभावशाली उपवास का कार्यक्रम किया जिसका आश्चर्यजनक प्रभाव उत्तेजित जनता को शांत करने एवं अन्यायी शासकों पर पड़ा।

7. असहयोग (Non-Cooperation)— असहयोग सत्याग्रह का एक प्रबल अस्त्र है। असहयोग का उद्देश्य विपक्षी को ऐसी स्थिति में लाना है कि वह सहयोग के महत्व को समझें। गाँधीजी के विचार के मुताबिक असहयोग पूर्णरूपेण अहिंसात्मक हो। असहयोग व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि व्यक्ति के कुकृत्य और अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ करे। गाँधीजी का मानना था कि किसी देश की सरकार का आधार सैनिक बल नहीं बल्कि जनता का सहयोग है। जनता सहयोग देना बंद कर दे तो राज्य का अस्तित्व खत्म हो जायेगा। राजनीतिक क्षेत्र में असहयोग अत्यंत उपयोगी और प्रभावकारी साधन है। सामूहिक असहयोग के सामने बड़ी से बड़ी और ताकतवर अत्याचारी शासक झुक जाता है।

8. सविनय अवज्ञा (Civil disobedience)— सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। 'सविनय' का अर्थ है सभ्य या शिष्ट, निवेदन पूर्वक। 'अवज्ञा' का अर्थ है आज्ञा का पालन न करना या कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा का अर्थ हुआ शिष्टता या निवेदन के साथ अहिंसात्मक ढंग से अन्यायपूर्ण एवं अनैतिक कानून या आज्ञा का उल्लंघन, इसके लिये सत्याग्रही कितना भी कठोर दंड भोगने के लिये तैयार रहता है। इस प्रकार सविनय अवज्ञा अनैतिक कानून के विरुद्ध अहिंसक विद्रोह है।

गाँधीजी का विचार है कि नागरिकों का मुख्य कर्तव्य राज्य के कानून को मानना है लेकिन जब कानून अनैतिक और अन्यायपूर्ण हो तो नागरिकों का धर्म उसका उल्लंघन करना भी है। ऐसे कानून का उल्लंघन करना सत्य और न्याय की दृष्टि से उचित है। इसी आधार पर स्वराज्य प्राप्ति के लिये नमक कानून तथा अन्य अनुचित कानूनों को तोड़ने के लिये सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आहवान गाँधीजी ने किया था।

गाँधीजी ने सविनय अवज्ञा को सत्याग्रह का अंतिम अस्त्र मानते हुए बड़ी सावधानी से यथा संभव कम से कम प्रयोग करने का सुझाव दिया था। गाँधीजी के शब्दों में—“सविनय अवज्ञा हृदय से आदरपूर्ण एवं संयत होनी चाहिये, कुछ उत्तम सिद्धान्तों पर आश्रित हो जिसमें घृणा और शत्रुता की कोई भावना नहीं होनी चाहिये।”

सत्याग्रह की समालोचना या मूल्यांकन:—

गाँधीजी के सत्याग्रह-विचार की प्रशंसा की गई है लेकिन कई विचारकों ने सत्याग्रह धारण की कटु आलोचना निम्नांकित तर्कों पर की है—

1. सत्याग्रह की धारण अहिंसा के विरुद्ध है— सत्याग्रह का आशय न सिर्फ हिंसा का निषेध है, बल्कि विरोधियों के प्रति किसी दुर्भावना का अभाव होना भी है। मन, वचन, कर्म और भावना से भी हिंसा का प्रयोग न हो। लेकिन आलोचकों का मानना है कि जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है निश्चित रूप से उसे मानसिक और कभी-कभी शारीरिक कष्ट भी होता है। आर्थर मूर ने सत्याग्रह को (Mantal

Voilence) मानसिक हिंसा माना है। आलोचकों ने उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव माना है।

2. सभी परिस्थितियों में सत्याग्रह का प्रयोग असंभव है— हर जगह और हर स्थिति में सत्याग्रह का प्रयोग सफल नहीं हो सकता है। जहाँ स्वतंत्र, विवेकशील, सभ्य और मानवता के प्रति आदर देने वाला समाज है वहाँ सत्याग्रह सफल हो भी जाय लेकिन जहाँ बौद्धिक, नैतिक रूप से पिछड़ा समाज है वहाँ सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता है। निरंकुष शासक सत्याग्रह को कुचल देता है।

3. आक्रमण के विरुद्ध में सत्याग्रह का प्रयोग असंभव है— वाह्य आक्रमण के समय कोई भी देश अहिंसा पर विश्वास करके अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में डाल नहीं सकता है। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आणविक होड़ को देखकर सत्याग्रह की सफलता एकदम धूमिल मालूम पड़ता है। अणुबम के साथ सत्याग्रह की बात हास्यापद है।

4. सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के द्वारा आर्थिक— सामाजिक परिवर्तन कठिन है— वर्तमान आर्थिक—सामाजिक परिवेश में सत्याग्रह अनुपयुक्त है। सत्याग्रह के जरिये नहीं बल्कि वैज्ञानिक तकनीक और प्रौद्योगिक ज्ञान के माध्यम से ही प्रभावकारी प्रतियोगिता की जा सकती है। तभी राष्ट्र आर्थिक रूप से सबल और सामाजिक रूप से उन्नत होगा।

निष्कर्ष:— लेकिन सत्याग्रह संबंधी उपरोक्त आलोचनाये सही नहीं जान पड़ती । सत्याग्रह का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किस प्रकार का व्यक्ति करता है। नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा सत्याग्रह प्रभावकारी होगा और अनैतिक व्यक्तियों द्वारा सत्याग्रह असफल होगा। गाँधी जी ने सत्याग्रह के नियम, सत्याग्रही के गुण, सत्याग्रह के उद्देश्य और सत्याग्रह की कला की चर्चा कर दी है। यदि निर्धारित सिद्धान्तों का पालन किया जाय तो सत्याग्रह अवश्य सफल होगा। गाँधीजी ने स्वयं कई बार सफल और परिणामदायी सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह निष्चित रूप से शोषण और अन्याय के विरुद्ध प्रभावकारी अस्त्र है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. महात्मा गाँधी- सत्य के साथ प्रयोग (आत्मकथा) ।
2. महात्मा गाँधी- हिन्द स्वराज्य ।
3. महात्मा गाँधी- सर्वोदय समाज ।
4. महात्मा गाँधी- रचनात्मक कार्यक्रम
5. एम. के गाँधी- सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ।
6. विनोवा भावे- विनोवा चिंतन (विभिन्न अंकों में)
7. आर. के प्रभु एवं यु. आर. राव- महात्मा गाँधी के विचार ।
8. किशोर मषरूवाला- गाँधी विचार दोहन ।
9. रामजी सिंह- गाँधी दर्शन मीमांसा ।
10. दशरथ सिंह- गाँधीवाद को विनोवा की देन ।
11. महात्मा गाँधी- दि कलेक्टेड वर्क (विभिन्न अंकों में)
12. रोमां रोला- महात्मा गाँधी ।
13. डी. एम. दत्ता- द फिलासफी आफ महात्मा गाँधी ।
14. आर.आर. दिवाकर- गाँधी, ए पैक्टिकल फिलॉस्फर ।
15. निर्मल कुमार बोस- स्टडीज इन गाँधीज्म ।
16. यंग इंडिया- 08.08.1929 ।
17. यंग इंडिया- 16.04.1931 ।
18. हरिजन- 09.07.1933 ।
19. हरिजन- 14.07.1946 ।